माननीय न्यायमूर्ति एस. एस. सरोन और एस. पी. बनगढ़ के समक्ष

कुलदीप सिंह-अपीलकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य - प्रतिवादी

2005 का सीआरए नंबर डी-**540**-डीबी

सितंबर, 14 2012

भारतीय दंड संहिता*, 1860 -S.302 -* दंड प्रक्रिया संहिता*, 19 73 -* धारा *173, 207, 329 -* अपीलकर्ता को धारा *302/*पीसी के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया - मुकदमे के दौरान*,* यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेज कि अपीलकर्ता अस्वस्थ दिमाग का था - ट्रायल कोर्ट ने यह भी देखा कि अपीलकर्ता/अभियुक्त अस्थिर दिमाग का प्रतीत होता है - धारा *329* सीआरपीसी के तहत प्रक्रिया का पालन यह पता लगाने के लिए नहीं किया गया कि अभियुक्त अस्वस्थ दिमाग का था या नहीं - अपील में दोषसिद्धि को रद्द किया गया - मामला रिमांड पर नहीं लिया गया नए सिरे से मुकदमे के लिए ट्रायल कोर्ट इस कारण से कि अपीलकर्ता पहले ही *9* साल की कैद काट चुका था*,* और मृतक में से एक की बेटी सहित दो चश्मदीद गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया था - अपील की अनुमति दी*,*

यह अभिनिर्धारित किया गया है की रिकॉर्ड पर सामग्री के माध्यम से जाने और पार्टियों के लिए वकील सुनने के बाद, एक पहलू काफी निश्चित है कि अपीलकर्ता का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। वास्तव में, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अपने आक्षेपित फैसले के पैरा नंबर 15 में कहा कि मुकदमे के दौरान, अपीलकर्ता को मानसिक विकार के इलाज के लिए कुछ मौकों पर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रोहतक भेजा गया था, लेकिन यह कहीं भी मामला नहीं है कि वह (कुलदीप सिंह) घटना के समय अस्वस्थ दिमाग का व्यक्ति था। विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा यह माना गया था कि अपीलकर्ता अपनी पत्नी (राजो देवी) और बड़े भाई (हरचंद) की हत्या के समय एक फिट मानसिक स्थिति में था और बाद में, सदमे और मामला दर्ज होने के कारण, उसने अपना मन का संतुलन खो दिया और अव्यवस्थित दिमाग का रोगी बन गया।

(पैरा 34)

यह अभिनिर्धारित किया गया है की, हालांकि, यह देखा जा सकता है कि इस मामले में विद्वान ट्रायल कोर्ट ने देखा था कि अपीलकर्ता के पास बहुत स्थिर दिमाग नहीं था। इसलिए, यह मुकदमे को स्थगित करने और खुद को संतुष्ट करने के लिए उत्तरदायी था कि क्या अपीलकर्ता खुद का बचाव करने में सक्षम था और अगर यह संतुष्ट था कि वह खुद का बचाव करने में सक्षम था, तभी मुकदमा आगे बढ़ने के लिए

उत्तरदायी था। इस तरह, सीआरपीसी की धारा 329 का उल्लंघन हुआ है और इस कारण से, मुकदमा समाप्त हो गया है जो आक्षेपित निर्णय और सजा के आदेश को रद्द करने का वारंट करेगा। 'मुझे पता चला कि ट्रायल कोर्ट ने इस आधार पर कार्यवाही की है कि घटना के समय, अपीलकर्ता स्वस्थ दिमाग का था। हालांकि, सीआरपीसी की धारा 329 (1) के संदर्भ में, यह देखा और पता लगाया जाना चाहिए कि क्या मुकदमा चलाया जा रहा व्यक्ति अस्वस्थ दिमाग का था और परिणामस्वरूप, अपना बचाव करने में असमर्थ था। वर्तमान मामले में इस पहलू का विज्ञापन नहीं किया गया है।

(पैरा 44)

यह अभिनिर्धारित किया गया है की सामान्य स्थिति में सीआरपीसी की धारा 329 (1) का पालन न करने के कारण दोषसिद्धि को रद्द कर दिया जाना चाहिए और मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए भेज दिया जाना चाहिए, लेकिन वर्तमान मामले में अपीलकर्ता, जांच, मुकदमे के दौरान और दोषसिद्धि के बाद पहले ही लगभग 9 साल जेल की सजा काट चुका है। इसके अलावा, मामले में सामग्री गवाहों अर्थात् PW-9 अनुसुइया, PW-10 प्रोमिला और PW-11 शकुंतला ने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरी तरह से समर्थन नहीं किया और घटना के संबंध में विसंगतिपूर्ण और असंगत बयान दिए हैं। एक स्तर पर उनमें से दो अनुसुइया (PW-9) और प्रोमिला (PW-10) का कहना है कि उन्होंने एक व्यक्ति को दबे हुए चेहरे के साथ हत्याएं करते देखा और वे उसे पहचान नहीं सके। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने घटना देखी थी लेकिन इस संबंध में पुलिस को कोई बयान नहीं दिया गया था और परिवार ने त्रासदी को सहन करने का फैसला किया था। वे मृतक के करीबी रिश्तेदार हैं। पी डब्ल्यू -9 अनुसुइया हरचंद (मृतक) की बेटी और कुलदीप सिंह (अपीलकर्ता) की पत्नी होने के नाते राजो देवी की भतीजी है। PW-10 प्रोमिला हरचंद (मृतक) की नाती है। पीडब्लू-एच शकुंतला हरचंद (मृतक) की बहू है और उसने अभियोजन पक्ष के मामले का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया था। इन परिस्थितियों में, नए सिरे से मुकदमे का आदेश देना न्याय के हित में नहीं होगा और अपीलकर्ता को रिकॉर्ड पर विसंगतिपूर्ण साक्ष्य के कारण और सीआरपीसी की धारा 329 (1) का पालन न करने के कारण संदेह का लाभ दिया जाएगा और उसे आक्षेपित निर्णय और परिणामी सजा के आदेश को रद्द करके बरी कर दिया जाएगा। इस मामले में उपरोक्त चश्मदीद गवाहों ने अपने मुख्य पक्ष में अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया है, हालांकि दो चश्मदीद गवाहों ने विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जिरह में मामले का समर्थन किया था, लेकिन विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा सीआरपीसी की धारा 329 (1) की गैर-अनुपालन को देखते हुए इसका बहुत अधिक परिणाम नहीं होगा।

(पैरा 45)

अंजू अरोड़ा, अपीलकर्ता के लिए वकील।

प्रतिवादी के लिए एच.एस. सरन, अतिरिक्त एजी

न्यायमूर्ति एस.पी. बानगढ़

1. अपील में चुनौती सत्र न्यायाधीश, सिरसा द्वारा सत्र मामला संख्या 69 में पारित दिनांक 31.05.2005 के फैसले की वैधता और औचित्य को चुनौती दी गई है, जो एचआर संख्या 240 दिनांक 10.06.2003 से उत्पन्न हुआ है, जिसके तहत अपीलकर्ता को धारा 302 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास और 30,000 रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनाई गई थी। जुर्माने का भुगतान न करने पर 18 माह की अवधि के कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।

2. 09.06.2003 को, ओम प्रकाश। उनकी मां और उनके बच्चे अपनी मां की बहन के बेटों की शादी में शामिल होने के लिए पंजाब के शेरनवाली गांव गए हुए थे। हरचंद, अनुसुइया (हरचंद की बेटी) और प्रोमिला (हरचंद की बहन की बेटी), ग्राम भरोलियांवाली में हरचंद के घर पर ही रहे। दिनांक 09.06.2003 को लगभग 2-3 बजे ओम प्रकाश के चाचा कुलदेप सिंह (अपीलकर्ता) ने अपने विफ (राजो देवी) की पिटाई कर दी। इसके बाद उसे हरचंद ने फटकार लगाई और राजो देवी को बचा लिया गया। कुछ समय बाद, 09.06.2003 को कुलदीप सिंह (अपीलकर्ता) और उसकी पत्नी (राजो देवी) के बीच झगड़े के कारण, पूर्व ने बाद में एक कुदाल से हत्या कर दी और फिर वह हरचंद के घर आया और उसकी हत्या भी कुदाल से की। ओम प्रकाश, अपने पिता (हरचंद) और चाची (राजो देवी) की हत्या के बारे में जानने के बाद, अपने गाँव भरोलियांवाली लौट आया, जहाँ उसकी बहन (अनुसुइया) ने उसे पूरी घटना सुनाई और उसने उसे यह भी बताया कि वह खुद, प्रोमिला और शकुंतला, हरचंद को देखकर बेहोश हो गई थी।

3. ओम पार्क राख का उपरोक्त बयान (Ex.PK) जनरल अस्पताल सिरसा में पुलिस स्टेशन रानिया के एसआई/एसएचओ पंजाब सिंह द्वारा दर्ज किया गया था, जिन्होंने उसे अपने पृष्ठांकन के साथ पुलिस स्टेशन Ex.PK/2 भेजा था, जिसने औपचारिक एफआईआर (Ex.PK/1) का आधार बनाया था। एसआई पंजाब सिंह भी 09.06.2003 को पुलिस स्टेशन सिटी सिरसा से मौखिक ट्रांसमिशन संदेश प्राप्त होने पर जनरल अस्पताल सिरसा गए और उन्होंने पुलिस स्टेशन सिटी सिरसा से रुका (Ex.PE और एक्स.पीसी) भी एकत्र किए। 11ग ने जनरल अस्पताल सिरसा में हरचंद की लाश पर एक्स.पी.आई.1/1 और राजो देवी की लाश पर एक्स.पी.आई./1 तैयार की। बाद में उन्होंने शवों को पोस्टमार्टम Ex.PH के लिए भेज दिया।

4. शव परीक्षण के बाद, हरचंद (Ex.PG) की ऑटोप्सी रिपोर्ट की प्रतियां Ex.PG/ 1 के चोटों के स्कैट्स को दर्शाने वाले पेक्टोरियल आरेख के साथ, हरचंद (Ex.PH/1) की जांच रिपोर्ट और इसी तरह राजो देवी (एक्स.पीडी) की ऑटोप्सी रिपोर्ट की प्रति के साथ चोटों के स्कैट्स (एक्स.पीडी/एल) और जांच रिपोर्ट (Ex.PE/l) और दोनों मृतकों (हरचंद और राजो देवी) के सामान के सीलबंद पार्सल को मेडिकल द्वारा एसआई

पंजाब सिंह को सौंप दिया गया हरचंद और राजो देवी के शवों का पोस्टमार्टम करने वाले अधिकारी। सीलबंद पार्सल, जो चिकित्सा अधिकारियों द्वारा एसआई पंजाब सिंह को सौंपे गए थे, को भी विडीसी मेमो पूर्व पीक्यू जब्त किया गया था। बाद में निरीक्षक पंजाब सिंह ने 10-06-2003 को घटना स्थल का दौरा किया और सही मार्जिनल नोट्स के साथ घटना स्थल (Ex.PR) की रफ साइट योजना तैयार की। 11ग ने दोनों घटना स्थलों, जहां हरचंद और राजो देवी की हत्या की गई थी, से खून से सनी मिट्टी को भी उठा लिया और इन्हें मुहर वाली छाप पीएस के साथ अलग-अलग पार्सलों में सील कर दिया गया और दोनों पार्सलों को ज्ञापन Ex.PS के तहत जब्त कर लिया गया। मैंने गवाहों के बयान भी दर्ज किए और पुलिस स्टेशन लौटने पर, एमएचसी के साथ सीलबंद पार्सल जमा किए।

5. बाद में, 07.10.2003 को, कुलडीसीपी सिंह (अपीलकर्ता) को एसआई मनवीर सिंह ने गिरफ्तार किया, जिन्होंने उससे पूछताछ की और पूछताछ के दौरान, कुलदीप सिंह (अपीलकर्ता) को एक प्रकटीकरण बयान पूर्व पीयू का सामना करना पड़ा और उसके अनुसरण में, सरसों के खेत में ईंट भट्ठे के पास पड़े भूसे (तूरा) के ढेर से एक कुदाल बरामद हुई, जिसे सील असर छाप 'एमएस' के साथ स्केल किया गया था। एक पार्सल तैयार किया गया और विडेक मेमो Ex.PU/1 को कब्जे में ले लिया गया। बाद में एसआई मनवीर सिंह ने कुदाल की बरामदगी के स्थान (एक्स.पी.यू/2) का रफ साइट प्लान सही मार्जिनल नोटों से तैयार किया। आसानी संपत्ति उसके द्वारा एमएचसी के पास जमा की गई थी। गवाहों के बयान भी उन्होंने दर्ज किए।

6. जांच पूरी होने के बाद, पुलिस स्टेशन रानिया के स्टेशन हाउस ऑफिसर ने विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 173 दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी-संक्षेप में) के तहत पुलिस रिपोर्ट दर्ज की, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता ने धारा 302 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध किया था। पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर, धारा 207 सीआरपीसी के तहत आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां अपीलकर्ता को प्रस्तुत की गईं और मामला बाद में विद्वान सत्र न्यायाधीश, सिरसा की अदालत को सौंप दिया गया।

7. सत्र मामला प्राप्त होने पर, विद्वान सत्र न्यायाधीश, सिरसा ने अपीलकर्ता के खिलाफ धारा 302 आईपीसी के तहत आरोप तय किया, जिसमें बाद वाले ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमे का दावा किया। नतीजतन, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य तलब किए गए।

8. मुकदमे में, अभियोजन पक्ष ने सोलह गवाहों से पूछताछ की।

9. पीडब्लू-1 डा डेल सिंह ने दिनांक 09.06.2003 को अपराह्न 3.25 बजे हरचंद (मृतक) की चिकित्सा जांच की और अपने शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाईं

1. 22 सेमी का एक घाव x 2 सेमी। x ग्रे पदार्थ हड्डी के कटे हुए हिस्से से

निकल रहा है। ताजा रक्तस्राव मौजूद था। सर्जन की राय मांगी गई।

2. दाहिनी कोहनी पर घाव 5 सेमी। x 1/4 सेमी x हड्डी गहरी। ताजा रक्तस्राव मौजूद था। एक्स-रे की सलाह दी गई थी।

3. दाएं पार्श्विका क्षेत्र का घाव 5 सेमी। x 1/2 सेमी x हड्डी गहरी। ताजा रक्तस्राव मौजूद था। एक्स-रे की सलाह दी गई थी।

4. 12 सेमी का घाव हुआ। x 1/2 सेमी x हड्डी सही पश्चकपाल क्षेत्र पर गहरी। ताजा रक्तस्राव मौजूद था। एक्स-रे की सलाह दी गई थी।

10. उन्होंने आगे गवाही दी कि चोट नंबर 1 जीवन के लिए खतरनाक थी, जबकि अन्य चोटों को एक्स-रे के लिए सलाह दी गई थी और सभी चोटें 24 घंटे की संभावित अवधि के भीतर तेज धार वाले हथियार के कारण हुई थीं। उन्होंने गवाही दी कि पूर्व पीए मेडिको-कानूनी रिपोर्ट की सही कार्बन कॉपी थी, जबकि Ex.PA/1 चोटों की सीट दिखाने वाले आरेख थे। उन्होंने रुका पूर्व पीबी भी साबित किया, जिसे उन्होंने एसएचओ, थाना सिटी सिरसा को भेजा। उन्होंने आगे गवाही दी कि मरीज ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया और इस संबंध में, उन्होंने रुका एक्स को भेजा। पीसी से एसआई आईओ, पुलिस स्टेशन सिटी। सिरसा। पूर्व पीएल कासी को अदालत में दिखाया गया था। मैंने गवाही दी कि मारचंद के व्यक्ति के शरीर पर पाई गई चोटें 09.06.2003 को लगभग 2.00 बजे हो सकती हैं।

11. पीडब्लू-2 डा जगदीश चौधरी ने 10-06-2003 को दोपहर 12-05 बजे जनरल अस्पताल सिरसा में राजो देवी (मृतक) की लाश का पोस्टमार्टम किया और उसके शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई गईं।

1. 11.5 सेमी आकार का एक घाव x 2.5 सेमी। x 4 सेमी। गहरा, बाहरी कान के ऊपरी हिस्से के दाईं ओर जबड़े के मैंडिबुलर कोण से फैला हुआ है। अंतर्निहित हड्डी और जहाजों को व्यापक रक्तस्राव के साथ काट दिया गया था। मांसपेशियों को भी काट दिया गया था।

2. बाईं कलाई के ऊपर 5 सेंटीमीटर की बाईं कलाई के ऊपर 6 सेंटीमीटर का एक घाव लगा हुआ है। x 3 सेमी। अंतर्निहित हड्डियों के फ्रैक्चर के साथ। घाव हड्डी में गहरा था। चमड़े के नीचे के ऊतकों में रक्त का बहाव देखा गया.

3. बाएं गाल पर 3 सेमी का एक घाव x 1 सेमी.x 1 सेमी. मुंह के बाएं कोण के पास। चमड़े के नीचे के ऊतकों में रक्त का बहाव देखा गया.

12. उन्होंने आगे गवाही दी कि उनकी राय में इस मामले में मृत्यु का कारण कई चोटें और इसकी जटिलताएं थीं, जो प्रकृति में एंटीमॉर्टम थीं और प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं। उन्होंने यह भी गवाही दी कि चोटों और मृत्यु के बीच का समय परिवर्तनशील था और मृत्यु और पोस्टमार्टम

के बीच 24 घंटे के भीतर था। उन्होंने यह भी गवाही दी कि पोस्टमार्टम परीक्षा के बाद, उन्होंने पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कार्बन कॉपी, पुलिस पेपर नंबर 1 से 14 के विधिवत हस्ताक्षरित और मृतक के कपड़ों से भरा एक सीलबंद पैकेट के साथ एक अच्छी तरह से सिले हुए शव को सौंप दिया। उन्होंने आगे गवाही दी कि Ex.PD पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सही कार्बन कॉपी है, जबकि Ex.PD/1 चोटों की सीट दिखाने वाले आरेख थे। उन्होंने पुलिस की जांच रिपोर्ट पूर्व पीई को भी साबित किया, जिसके तहत उन्हें राजो देवी की लाश पर पोस्टमार्टम करने के लिए कहा गया था। उन्होंने Ex.PE/1 जांच रिपोर्ट भी साबित की। उन्होंने यह भी गवाही दी कि राजो देवी के शव पर चोटें कस्सी Ex.Pl के कारण हो सकती हैं और चोटें मिलने के कुछ ही मिनटों में मृतक की मृत्यु हो सकती है। 1 आईसी ने यह भी गवाही दी कि मृतक को 09.06.2003 को अपराह्न 1.00 बजे चोटें लग सकती थीं।

13. पीडब्लू-3 डा गौरव बिश्नोई ने गवाही दी कि दिनांक 10-06-2003 को पूर्वाह्न 1115 बजे उन्होंने डॉ. वीके महिपाल के साथ हरचंद (मृतक) की लाश का पोस्टमार्टम किया और उसके शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाईं:

(1) 22 सेमी मापने वाला एक सिला हुआ घाव। खोपड़ी के अंतरापारिटल क्षेत्र पर मौजूद लंबाई में, बाएं कान पिन्ना के ठीक ऊपर से दाएं ललाट पार्श्विका क्षेत्र तक फैली हुई है। विच्छेदन पर, रक्त की चमड़े के नीचे घुसपैठ subglial हेमेटोमा के साथ मौजूद था. खोपड़ी की अंतर्निहित हड्डी घाव की दिशा में कट गई थी। अंतर्निहित मस्तिष्क पदार्थ भी घाव की रेखा में 2 इंच की गहराई तक कट गया था। स्थानीयकृत सबड्यूरल और एक्स्ट्रा-ड्यूरल हेमेटोमा मौजूद था।

(2) एक चीरा हुआ घाव 5 सेमी। x 0.5 सेमी. दाएं पार्श्विका क्षेत्र पर, 2 सेमी। चोट के पीछे नं। विच्छेदन पर, रक्त की चमड़े के नीचे घुसपैठ मौजूद थी। खोपड़ी की ऊपरी मेज घाव की दिशा में कट गई थी।

(3) सी-आकार का चीरा हुआ घाव 12 सेमी। x 0.5 सेमी। कटा हुआ प्रकार, खोपड़ी के पश्चकपाल क्षेत्र में। विच्छेदन पर, रक्त की चमड़े के नीचे घुसपैठ मौजूद थी। खोपड़ी की ऊपरी मेज घाव की दिशा में कट गई थी।

(4) दाहिनी कोहनी, पीछे की सतह पर 5 x 0.5 सेमी घाव हुआ। विच्छेदन पर, रक्त की चमड़े के नीचे घुसपैठ मौजूद थी।

14. उन्होंने आगे इस मामले में मृत्यु का कारण गवाही दी, उनकी राय के अनुसार वर्णित मस्तिष्क की चोट थी, जो प्रकृति में पूर्व-मृत्यु थी और प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। उन्होंने यह भी गवाही दी कि चोटों और मृत्यु के बीच का संभावित समय परिवर्तनशील था और मृत्यु और पोस्टमार्टम के बीच 24 घंटे के भीतर था। उन्होंने पुलिस को एक अच्छी तरह से सिले हुए शव, उनके द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पुलिस पेपर नंबर 1 से 12, पोस्टमार्टम

रिपोर्ट की एक कार्बन कॉपी और मृतक के कपड़ों से भरा एक सीलबंद पार्सल सौंपा। उन्होंने आगे गवाही दी कि Ex.PG पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सही कार्बन कॉपी है, जबकि Ex.PG/1 चोटों की सीट दिखाने वाले आरेखों को चाप करते हैं।

15. पीडब्लू -4 एएसआई, संत लाल और पीडब्लू -5 ईएचसी मदन लाल ने क्रमशः Ex.PF और Ex.Pl अपने शपथ पत्र दिए। पीडब्लू-6 राधे शाम ने गवाही दी कि 28.10.2003 को, उन्होंने घटना स्थल का दौरा किया और पीडब्लू अनुसुइया और शकुंतला की ओर इशारा करते हुए सही सीमांत नोटों के साथ स्केल प्लान एक्सपीजे तैयार किया।

16. पी डब्ल्यू -7 त्रिलोक सिंह ने गवाही दी कि 10.06.2003 को उन्होंने घटना स्थल का दौरा किया और एक्सपी 2 से एक्सपी 9 की तस्वीरें लीं और नकारात्मक साबित हुए, एक्स.पी 10 से एक्स.पी 17।

17. पीडब्लू-8 एएसआई मोहिन्दर सिंह ने गवाही दी कि 10.06.2003 को उन्होंने रूका Ex.PK प्राप्त होने पर औपचारिक एफआईआर Ex.PK/1 दर्ज की। और एफआईआर की प्रतियां उच्च अधिकारियों के साथ-साथ ललका मजिस्ट्रेट को भी भेजीं।

18. पीडब्लू -9 अनुसुइया ने गवाही दी कि 09.06.2003 को, वह गांव भरोलियांवाली में अपने पैतृक घर पर मौजूद थी, जबकि उसका भाई (ओम प्रकाश) अपनी मां की बहन के बेटे के बेटे की शादी में भाग लेने के लिए गांव शेरनवाली गया था और उसके पिता हरचंद (मृतक) भी उसके घर में मौजूद थे, जबकि राजो देवी (मृतक) और उसका पति (कुलदीप सिंह अपीलकर्ता) अपने पिता के घर से सटे अपने घर में मौजूद थे। घटना के बिंदु पर, उसने अभियोजन पक्ष के संस्करण का समर्थन नहीं किया और गवाही दी कि उस दिन लगभग 2.00 या 2.30 बजे किसी ने दबे हुए चेहरे वाले किसी व्यक्ति ने राजो देवी और उसके पिता (हरचंद) की कुदाल से हत्या कर दी। चूंकि हमलावर का चेहरा दबा हुआ था, इसलिए वह और घर के अन्य लोग उसे पहचान नहीं सके और अपीलकर्ता ने उसके पिता (हरचंद) और चाची (राजो देवी) की हत्या नहीं की। इस गवाह को अभियोजन पक्ष द्वारा मुकर जाने वाला घोषित कर दिया गया था और विद्वान लोक अभियोजक द्वारा विस्तार से जिरह की गई थी, लेकिन प्रतिपरीक्षण में, वह सच्चाई को दबा नहीं सकी और अभियोजन पक्ष के संस्करण को स्वीकार कर लिया।

19. पीडब्लू -10 प्रोमिला ने यह भी गवाही दी कि 09.06.2003 को, वह अपनी गर्मी की छुट्टियों के कारण गांव भरोलियांवाली में अपने नाना (हरचंद) के घर पर मौजूद थी और वह 09.06.2003 से पहले पिछले दस दिनों से वहां थी और अनुसुइया (हरचंद की बेटी) और शकुंतला उसकी मामा भी 09.06.2003 को मृतक (हरचंद) के घर पर मौजूद थीं और अपीलकर्ता और उसकी पत्नी (राजो देवी) उनके घर पर मौजूद थीं मृतक (हरचंद) के घर से सटा। उसने गवाही दी कि उसके मामा ओम प्रकाश और मृतक (हरचंद) के घर के परिवार के अन्य सदस्य शादी में शामिल होने के लिए गए थे। उसने अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन पक्ष के संस्करण का भी समर्थन नहीं किया और

गवाही दी कि एक दबे हुए चेहरे वाले एक व्यक्ति ने पहले कुलदीप सिंह (अपीलकर्ता) के घर में घुसपैठ की और उसकी पत्नी (राजो देवी) की हत्या कुदाल से की और उसके बाद, उसने उसके नाना-नाना (हरचंद) के घर में घुसपैठ की और उसकी हत्या कर दी। अभियोजन पक्ष द्वारा उसे मुकर जाने और विद्वान लोक अभियोजक द्वारा लंबी जिरह भी की गई, लेकिन वह जिरह की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकी और अभियोजन का पूरा मामला स्वीकार कर लिया।

20. पीडब्लू -11 शकुंतला ने यह भी गवाही दी कि 09.06.2003 को, वह, अनुसुइया, प्रोमिला और मृतक (हरचंद) गांव भरोलियांवाली में उत्तरार्द्ध के घर पर मौजूद थे और कुलदीप सिंह (अपीलकर्ता) और उनकी पत्नी राजो देवी अपने बगल के घर में मौजूद थे और 09.06.2003 को अपीलकर्ता और उसकी पत्नी (राजो देवी) के बीच सुबह झगड़ा हुआ था। हालांकि, उसके ससुर (हरचंद) ने उन्हें अलग कर दिया। घटना के संबंध में, उसने अभियोजन पक्ष के संस्करण का समर्थन नहीं किया और गवाही दी कि लगभग 2.00 या 2.30 बजे एक व्यक्ति ने कुदाल से लैस होकर उनके घर में प्रवेश किया और अपने ससुर (हरचंद) और राजो देवी की हत्या कर दी। वह हमलावर की पहचान नहीं कर सकी क्योंकि उसका चेहरा दबा हुआ था। अभियोजन पक्ष द्वारा उसे मुकर जाने वाला भी घोषित किया गया और विद्वान लोक अभियोजक द्वारा लंबी जिरह की गई। जिरह में उन्होंने अपना पक्ष बनाए रखा जैसा कि उनके एग्जामिनेशन इन-चीफ में लिया गया था।

21. पीडब्लू -12 ओम प्रकाश पुत्र हरचंद राम ने भी गवाही दी कि 09.06.2003 को, वह, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, मां और भाई गांव शेरनवाली में एक शादी में भाग लेने के लिए दूर थे, जबकि उसकी बहन (अनुसुइया), शकुंतला, उसकी बहन की बेटी (प्रोमिला) और उसके पिता (हरचंद) गांव भरोलियांवाली में अपने घर पर मौजूद थे। उन्होंने आगे गवाही दी कि कुलडसीसी सिंह (अपीलकर्ता), उनकी पत्नी (राजो देवी-मृतक) और उनके बच्चे भरोलियावाली में अपने घर में मौजूद थे और 10.06.2003 को जब वह शादी में भाग लेने के बाद गांव भरोलियावाली लौटे, तो अनुसुइया और प्रोमिला ने अपने पिता हरचंद और चाची (राजो देवी) की हत्या के संबंध में घटना का वर्णन करते हुए कहा कि एक दबे हुए चेहरे वाले व्यक्ति ने घर में प्रवेश किया था और राजो देवी और हरचंद की हत्या की थी। इस गवाह ने अभियोजन पक्ष के संस्करण का समर्थन नहीं किया और उसे मुकर जाने वाला घोषित कर दिया गया और विद्वान लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह में, उसने अभियोजन पक्ष के संस्करण का समर्थन नहीं किया।

22. पीडब्लू-13 आई1सी रोशन लाल ने साक्ष्य में अपना शपथ पत्र पूर्व पीओ प्रस्तुत किया।

23. पीडब्लू-14 I आईसी सतबीर सिंह ने साक्ष्य में अपना शपथ पत्र पूर्व

पीपी प्रस्तुत किया।

24. पीडब्लू-15 इंस्पेक्टर पंजाब सिंह और पीडब्लू-16 एसआई मनवीर सिंह ने इस मामले की जांच की और जांच की तर्ज पर गवाही दी, जिसे इस फैसले के पहले हिस्से में फिर से पेश किया गया है।

25. 16 गवाहों की जांच करने के बाद विद्वान लोक अभियोजक ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट (एक्सपीयू) प्रस्तुत करने के बाद अभियोजन साक्ष्य को बंद कर दिया।

26. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य बंद होने के बाद, अपीलकर्ता से धारा 313 सीआरपीसी के तहत पूछताछ की गई, जिसमें उसने अभियोजन पक्ष के आरोपों से इनकार किया और मामले में निर्दोष और झूठे आरोप लगाए। उसने कहा कि वह अस्थिर दिमाग का था और उसने किसी की हत्या नहीं की थी और उसे संदेह के आधार पर इस आसानी से फंसाया गया है।

27. अपीलकर्ता को बचाव में प्रवेश करने के लिए बुलाया गया था और उसने अपनी बेटी पूनम को डीडब्ल्यू 1 के रूप में पूछताछ की, उसने गवाही दी कि सुबह 09.06.2003 को, चाय की तैयारी को लेकर उसके पिता और उसकी मां के बीच झगड़ा हुआ था। उसकी माँ ने इसे तैयार करने से इनकार कर दिया और इस प्रकार, झगड़ा पैदा हो गया। झगड़े के बाद, कुलदीप सिंह (अपीलकर्ता) घर से बाहर चला गया और उसके बाद, दोपहर के समय एक व्यक्ति उनके घर आया और उसकी मां (राजो देवी) की कुदाल से हत्या कर दी। अपनी मां (राजो देवी) की हत्या करते हुए उक्त व्यक्ति ने बगल के घर में अपने चाचा हरचंद की कुदाल से हत्या कर दी। वे हमलावर की पहचान नहीं कर सके क्योंकि उसका चेहरा दबा हुआ था।

28. बहादुर राम के पुत्र डीडब्ल्यू -2 ओम प्रकाश ने भी गवाही दी कि 09.06.2003 को लगभग 2.30 बजे, उन्होंने एक शोर सुना और अपने घर से बाहर गए और कई लोग अपीलकर्ता के घर के सामने खड़े थे और "मार दीया- मार दिया" का शोर था। अपीलकर्ता के बच्चों ने बताया कि भारी शरीर और लंबी ऊंचाई वाले एक व्यक्ति ने हत्या की थी, लेकिन वे उसके चेहरे को दबा नहीं सकते थे। राजो देवी और हरचंद की हत्या करने के बाद उक्त व्यक्ति मौके से फरार हो गया। उसने यह भी गवाही दी कि अपीलकर्ता मानसिक रूप से बीमार था और महीनों तक वह घर से बाहर रहता था और कई बार, वे उसे खोजने के बाद उसे वापस लाते थे और 09.06.2003 को अपीलकर्ता गांव में उसके घर पर मौजूद नहीं था।

29. इसके बाद बचाव पक्ष के साक्ष्य बंद कर दिए गए।

30. दोनों पक्षों को सुनने के बाद, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। इससे व्यथित होकर अपीलकर्ता ने यह अपील इस प्रार्थना के साथ दायर की है कि वह इसे स्वीकार करे और उसके खिलाफ लगाए गए

आरोप से बरी हो जाए।

31. अपीलकर्ता के विद्वान वकील और प्रतिवादी के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा को सुना गया है और उनकी सहायता से मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया है।

32. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि अपीलकर्ता भटका हुआ और मानसिक रूप से अस्वस्थ है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि उसने कथित अपराध किया है। यह भी तर्क दिया गया कि हरचंद और राजो देवी की हत्या करने के लिए उसकी ओर से कोई मकसद नहीं था। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि चश्मदीद गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले की पुष्टि नहीं की है, इसलिए, उसे संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया जाना चाहिए।

33. दूसरी ओर, प्रतिवादी के लिए हरियाणा के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता जब अपराध करता है तो वह एक फिट मानसिक स्थिति में था और इसलिए, मुकदमे में कोई दोष नहीं है और अपीलकर्ता को सही तरीके से दोषी ठहराया गया था और विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा आक्षेपित निर्णय और आदेश के माध्यम से सजा सुनाई गई थी, जिसे बरकरार रखा जा सकता है और पुष्टि की जा सकती है।

34. रिकॉर्ड पर सामग्री के माध्यम से जाने और पक्षों के वकील को सुनने के बाद, एक पहलू काफी निश्चित है कि अपीलकर्ता का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। वास्तव में, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अपने आक्षेपित फैसले के पैरा नंबर 15 में कहा कि मुकदमे के दौरान, अपीलकर्ता को मानसिक विकार के इलाज के लिए कुछ मौकों पर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रोहतक भेजा गया था, लेकिन यह कहीं नहीं है कि वह (कुलदीप सिंह) घटना के समय अस्वस्थ दिमाग का व्यक्ति था। विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा यह माना गया था कि अपीलकर्ता अपनी पत्नी (राजो देवी) और बड़े भाई (हरचंद) की हत्या के समय एक फिट मानसिक स्थिति में था और बाद में, सदमे और आसानी के पंजीकरण के कारण, उसने अपना संतुलन खो दिया और अव्यवस्थित दिमाग का रोगी बन गया।

35. विद्वान ट्रायल कोर्ट के उक्त अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि हत्या के बाद, मुकदमे के दौरान अपीलकर्ता ने अपना मन का संतुलन खो दिया और मानसिक विकार का रोगी बन गया। विद्वान ट्रायल कोर्ट के उक्त अवलोकन से पता चलता है कि उसने मुकदमे के दौरान अपीलकर्ता के अव्यवस्थित दिमाग के बारे में सीखा। जब एक बार विद्वान ट्रायल कोर्ट को यह प्रतीत हुआ कि अपीलकर्ता मानसिक रूप से स्थिर नहीं था, तो उसे सीआरपीसी की धारा 329 के प्रावधानों को लागू करना चाहिए था।

36. वास्तव में यह भी रिकॉर्ड पर आया है कि, डीडब्ल्यू -2 ओम प्रकाश ने गवाही दी थी कि अपीलकर्ता मानसिक रूप से बीमार था और महीनों तक वह घर से

बाहर रहता था। कई बार वे उसकी खोजबीन कर उसे वापस लाते थे। उक्त बयान से पता चलता है कि अपीलकर्ता मानसिक स्वास्थ्य की फिट स्थिति में नहीं हो सकता है।

37. इस न्यायालय में अपील के लंबित रहने के दौरान, अपीलकर्ता द्वारा इस आधार पर कारावास की सजा को निलंबित करने की मांग की गई थी कि वह मानसिक बीमारी से पीड़ित है। चिकित्सा अधिकारी, जिला जेल, रोहतक द्वारा दर्ज दिनांक 17.02.2005 का एक प्रमाण पत्र इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 01.02.2012 के आदेश में पुन: प्रस्तुत किया गया था। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र निम्नानुसार है:

> "कुलदीप पुत्र बहादुर लगभग 40 वर्षीय पुरुष को जिला और सत्र न्यायाधीश, सिरसा वीडीसी आदेश संख्या 5355 दिनांक 16.10.2004 के आदेश से 19.10.2004 को जिला जेल सिरसा से जिला जेल रोहतक में चिकित्सा आधार पर स्थानांतरित किया गया था। उन्हें सिज़ोफ्रेनिया के साथ अमीबिक कोलाइटिस चाबवासीर की आसानी का निदान किया जाता है। उन्हें पीजीआईएमएस, रोहतक बनाम एसओपीओ नंबर 9186 (कार्ड नंबर 483832) निर्धारित उपचार और आहार दिया गया था। पीजीआईएमएस, रोहतक के दौरे पर आए मनोचिकित्सकों द्वारा जिला जेल अस्पताल में नियमित रूप से जांच की गई। परामर्शदाता द्वारा दी गई सलाह के अनुसार उसे उपचार और आहार नियमित रूप से दिया जा रहा है। उनका अनुसरण पीजीआईएमएस रोहतक में दिनांक 18.01.2005 और 15.02.2005 को ओपीडी संख्या 766/05 के माध्यम से किया गया था। उसका इलाज किया जा रहा है। जिला जेल सिरसा में रहते हुए इलाज जारी रखा जा सकता है।

इसलिए मेरी राय में अगर अधिकारी सहमत होते हैं, तो उन्हें वापस जिला जेल सिरसा में स्थानांतरित किया जा सकता है।

यह आपकी जानकारी के लिए है।

38. उपरोक्त प्रमाण पत्र, जैसा कि ऊपर पुन: प्रस्तुत किया गया है, यह भी दर्शाता है कि अपीलकर्ता मुकदमे के दौरान अपनी मानसिक बीमारी का इलाज कर रहा था। इस पर विचार किया जाना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि अपीलकर्ता मानसिक विकार से पीड़ित था या नहीं। उक्त परिस्थितियों में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 329 (1) के प्रावधान लागू किए जाने योग्य थे। उक्त प्रावधान निम्नानुसार है:

329. विक्षिप्त मानसिक व्यक्ति के मामले में प्रक्रिया न्यायालय के समक्ष विचारित

(1) यदि मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय के समक्ष किसी व्यक्ति के विचारण के समय, मजिस्ट्रेट या न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है और फलस्वरूप अपना बचाव करने में असमर्थ है, तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय सर्वप्रथम ऐसी अस्वस्थता और अक्षमता के तथ्य का विचारण करेगा और यदि मजिस्ट्रेट या न्यायालय, इस तरह के चिकित्सा और अन्य सबूतों पर विचार करने के बाद, जो उसके समक्ष पेश किए जा सकते हैं, इस तथ्य से संतुष्ट हैं, वह उस प्रभाव के निष्कर्ष को रिकॉर्ड करेगा और आसानी से आगे की कार्यवाही को स्थगित कर देगा।

39. योगेश कुमार बनाम राज्य और अन्य[1] मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि 'प्रकट' शब्द निश्चित रूप से 'सबूत' की तुलना में कम संभावना का आयात करता है। आगे यह कहा गया कि इसका मतलब यह नहीं होगा कि मजिस्ट्रेट या न्यायालय को केवल पूछने पर सवाल 'कोशिश' करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मेडिकल रिकॉर्ड या अन्य सामग्री के रूप में कुछ ऐसा होना चाहिए जो मजिस्ट्रेट या न्यायालय के मन में उचित संदेह पैदा करे कि अभियुक्त अस्वस्थ दिमाग का है। यहां तक कि अभियुक्त का आचरण भी इस तरह के संदेह को पर्याप्त रूप से जन्म दे सकता है। इस बाधा को पार करने पर ही मजिस्ट्रेट या न्यायालय के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह अभियुक्त की ऐसी अस्वस्थता और अक्षमता के तथ्य पर 'विचार' करे। इसलिए, निर्णय (सुप्रा) के मद्देनजर, साथ ही, दिनांक 17.02.2005 के प्रमाण पत्र के मद्देनजर, इस तथ्य की जांच के ऊपर पुन: प्रस्तुत किया गया कि क्या अपीलकर्ता अस्वस्थ दिमाग का था या वह मुकदमे में खुद का बचाव करने में सक्षम था, आयोजित किए जाने के लिए उत्तरदायी था। यह जांच वर्तमान न्यायालय में नहीं की गई थी।

40. गुरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य[2] के मामले में इस न्यायालय ने माना कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 329 द्वारा प्रदान किए गए निष्कर्ष को दर्ज करने के लिए उचित साक्ष्य की जांच नहीं करने में अदालत द्वारा कोई भी उल्लंघन मुकदमे

---

[1] 1996 (2)crimes 569

[2] 1986(2)RCR (Criminal)458

को खत्म करना है, क्योंकि एक पागल, पागल या मानसिक रूप से अस्वस्थ आरोपी मुकदमे को समझ नहीं सकता है और उसके खिलाफ सबूतों की सराहना नहीं कर सकता है और उसकी मानसिक अक्षमता के कारण आरोप का जवाब दे सकता है। आगे यह माना गया कि एक अस्वस्थ व्यक्ति का परीक्षण शून्य है। उक्त मामले में, अपील स्वीकार कर ली गई और अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया गया। उक्त निर्णय में दर्ज की गई टिप्पणियों और कानून के अनुसार कार्यवाही के लिए मामले को विद्वान ट्रायल कोर्ट में वापस भेज दिया गया था।

41. माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने रावल मोहनभाई लक्ष्मणभाई बनाम गुजरात राज्य[3] के मामले में निर्णय दिया कि किसी अभियुक्त के मानसिक रूप से अस्वस्थता को साबित करने के लिए चिकित्सा प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है। आगे यह माना गया कि घटना से पहले एक अभियुक्त का आचरण, अपराध के समय और घटना के बाद अभियुक्त का आचरण यह निष्कर्ष निकालता है कि अभियुक्त मन की फिट स्थिति में नहीं था। उक्त निर्णय में अभियुक्त के संबंध में दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया गया था और अभियुक्त को बरी कर दिया गया था।

42. इस न्यायालय ने "माखन सिंह बनाम पंजाब राज्य"[4] में माना कि धारा 329 सीआरपीसी के लागू न होने के कारण, धारा 328 सीआरपीसी के तहत जांच के अभाव में मुकदमा समाप्त हो गया है और मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए भेज दिया गया था ।

43. माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने नंदेश्वर दास बनाम असम राज्य[5] के मामले में भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 329 के अनुसार विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में तथ्यात्मक स्थिति पर विचार न करने के कारण अभियुक्त की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया। यह माना गया कि ट्रायल जज को आरोपी के मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में खुद को संतुष्ट करना चाहिए था।

44. अपील के लंबित रहने के दौरान इस न्यायालय के आदेश दिनांक 01.02.2012 ने मनोचिकित्सा इकाई, पीजीआईएमएस, रोहतक के प्रमुख से एक मेडिकल बोर्ड का गठन करने के लिए कहा और मेडिकल बोर्ड द्वारा अपीलकर्ता की जांच करने के बाद, इस बारे में एक निश्चित राय दी कि क्या दिनांक 17.02.2005 के प्रमाण पत्र के मद्देनजर, अपीलकर्ता ने मामले के विचारण के दौरान जो 19.01.2004 से शुरू हुआ और 31.05.2005 और 03.06.2005 को निर्णय और आदेश पारित करने के बाद समाप्त हुआ, मानसिक रूप से फिट था ताकि प्रभावी ढंग से अपने बचाव को आगे बढ़ा सके। आवश्यक रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। राज्य के विद्वान वकील को इस रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लिए जाने पर कोई गंभीर आपत्ति नहीं है। विशेषज्ञों की रिपोर्ट होने के कारण

---

[3] 1998 (4) RCR (Criminal) 402

[4] 2006 (2) RCR (Criminal)420

[5] 2004 CriLJ 4723

इसे Ex.Cl के रूप में रिकॉर्ड पर लिया गया है। उक्त रिपोर्ट में मेडिकल बोर्ड ने राय दी है कि 17-2-2005 से 03-06-2005 तक की अवधि के लिए न्यायालय में विचारण के लिए उपयुक्तता के बारे में राय पर टिप्पणी नहीं की जा सकती क्योंकि इस अवधि से संबंधित कोई मेडिकल रिकार्ड मेडिकल बोर्ड के पास उपलब्ध नहीं था। हालांकि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस मामले में विद्वान ट्रायल कोर्ट ने देखा था कि अपीलकर्ता के पास बहुत स्थिर दिमाग नहीं था। इसलिए, यह मुकदमे को स्थगित करने और खुद को संतुष्ट करने के लिए उत्तरदायी था कि क्या अपीलकर्ता खुद का बचाव करने में सक्षम था और अगर यह संतुष्ट था कि वह खुद का बचाव करने में सक्षम था, तभी मुकदमा आगे बढ़ने के लिए उत्तरदायी था। इस तरह, सीआरपीसी की धारा 329 का उल्लंघन हुआ है और इस कारण से, मुकदमा समाप्त हो गया है जो आक्षेपित निर्णय और सजा के आदेश को रद्द करने का वारंट करेगा। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने इस आधार पर कार्यवाही की है कि घटना के समय, अपीलकर्ता स्वस्थ दिमाग का था। हालांकि, सीआरपीसी की धारा 329 (1) के संदर्भ में, यह देखा और पता लगाया जाना चाहिए कि क्या मुकदमा चलाया जा रहा व्यक्ति अस्वस्थ दिमाग का था और परिणामस्वरूप, अपना बचाव करने में असमर्थ था। वर्तमान मामले में इस पहलू का विज्ञापन नहीं किया गया है।

45. सामान्य स्थिति में सीआरपीसी की धारा 329 (1) का पालन न करने के कारण दोषसिद्धि को रद्द कर दिया जाता है और मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन वर्तमान मामले में अपीलकर्ता, जांच, मुकदमे के दौरान और दोषसिद्धि के बाद पहले ही लगभग 9 साल जेल की सजा काट चुका है। इसके अलावा, मामले में सामग्री गवाहों अर्थात् पीडब्लू -9 अनुसुइया, पीडब्ल्यू -10 प्रोमिला और पीडब्ल्यू -11 शकुंतला ने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरी तरह से समर्थन नहीं किया और घटना के संबंध में विसंगत और असंगत बयान दिए हैं। एक स्तर पर उनमें से दो अनुसुइया (PW-9) और प्रोमिला (PW-10) का कहना है कि उन्होंने एक व्यक्ति को दबे हुए चेहरे के साथ हत्याएं करते देखा और वे उसे पहचान नहीं सके। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने घटना देखी थी लेकिन इस संबंध में पुलिस को कोई बयान नहीं दिया गया था और परिवार ने त्रासदी को सहन करने का फैसला किया था। वे मृतक के करीबी रिश्तेदार हैं। पीडब्लू -9 अनुसुइया हरचंद (मृतक) की बेटी है और कुलदीप सिंह (अपीलकर्ता) की पत्नी होने के नाते राजो देवी की भतीजी है। PW-10 प्रोमिला हरचंद (मृतक) की मातृ पोती है। पीडब्लू-11 शकुंतला हरचंद (मृतक) की बहू है और उसने अभियोजन पक्ष का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया था। इन परिस्थितियों में, नए सिरे से मुकदमे का आदेश देना न्याय के हित में नहीं होगा और अपीलकर्ता को रिकॉर्ड पर विसंगतिपूर्ण साक्ष्य के कारण और सीआरपीसी की धारा 329 (1) का पालन न करने के कारण संदेह का लाभ दिया जाएगा और उसे आक्षेपित निर्णय और परिणामी सजा के आदेश को रद्द करके बरी कर दिया जाएगा। इस सहजता में उपरोक्त चश्मदीद गवाहों ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया है, हालांकि दो चश्मदीद गवाहों ने विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जिरह में मामले का समर्थन किया है, लेकिन विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा धारा 329 (1) सीआरपीसी का पालन न करने के

मद्देनजर इसका बहुत अधिक परिणाम नहीं होगा।

46. नतीजतन, अपील सफल होती है और इसके द्वारा, स्वीकार की जाती है; आक्षेपित निर्णय और सजा के आदेश को रद्द कर दिया जाता है और अपीलकर्ता को विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए आरोप से बरी कर दिया जाता है। अपीलकर्ता को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.02.2012 के तहत जमानत पर रिहा कर दिया गया था। उसके द्वारा प्रस्तुत जमानत बांड का निर्वहन किया जाएगा।

पी.एस. बाजवा

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा । विश्वास खटक, प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer) रेवाड़ी, हरियाणा।